

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**

Notification No. 17/2021-State Tax (Rate)

Dated: The 16 March, 2022

No. F.3(160)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/177 - In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I), No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375 dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the notification,-

(i) in clause (i), for the words “and motor cycle;”, the words “, motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;” shall be substituted;

(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”

2. In the said notification, in Explanation, -

(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures, “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).” shall be substituted;

(ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 17/2017 –State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375 dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 23/2017 - State Tax (Rate), dated the 6th September, 2017 *vide* number F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/588, dated the 6th September, 2017.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(160)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 171

Dated: The 16 March, 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 17/2021-राज्य कर (दर)

दिनांक: 16 मार्च, 2022

सं0फा0 03(160)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/170 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-

- (i) उपवाक्य (i) में, शब्दों "और मोटर साइकिल" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक ", मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा "रेस्तरां सेवा" की आपूर्ति ।"

2. स्पष्टीकरण में,-

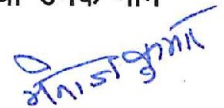
- (1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों "और "मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है" के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "मोटर साइकिल," "मोटरयान" और "ओमनिबस" का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ग) "विशिष्ट परिसर" से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे 'होटल की व्यवस्था' की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।"

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/375 दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 6 सितम्बर, 2017, सं0फा0 03(27)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/588, दिनांक 6 सितम्बर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम


(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)

सं0फा0 03(160)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/171

दिनांक: 16 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(मनोज कुमार)
उप सचिव- I (वित्त)